भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 2899
गुरुवार, 12 दिसंबर, 2024/21 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानन क्षेत्र का विकास

2899. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यदि एहतियाती उपाय नहीं किए जाते हैं तो भारत को अपनी बढ़ती नागर विमानन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य राष्ट्रों पर निर्भर रहने की आवश्यकता पड़ सकती है; और

(ख) यदि हां, तो विमानन क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख) सरकार ने भारतीय नागर विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई अग्र सक्रिय कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 का उद्देश्य भारतीय विमानन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराना है, जिसमें इसके सभी उप-क्षेत्रों का विकास शामिल हो।

ii. सरकार ने भारत में विमान एमआरओ के व्यापक विकास के लिए नीति प्रावधानों की घोषणा की थी। भारत में एमआरओ क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय नागर विमानन नीति-2016 के अंतर्गत सीमा शुल्क में छूट, सरलीकृत क्लियरेंस प्रक्रिया, भूमि आवंटन आदि जैसे कई प्रोत्साहन/छूट प्रदान किए गए हैं। सरकार ने 1 सितंबर, 2021 को नए एमआरओ दिशानिर्देशों की घोषणा की, जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रचालित हवाईअड्डों में एमआरओ के लिए भूमि आवंटन प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था।

iii. सरकार ने विमान घटकों और विमान के इंजन के हिस्सों के आयात पर करों (आईजीएसटी) को घटाकर 5% कर दिया है, जो पहले 5% से लेकर 28% थे। इसके अलावा, मरम्मत के लिए आयातित वस्तुओं के निर्यात की अवधि छह माह से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई है तथा वारंटी के अंतर्गत मरम्मत के लिए वस्तुओं के पुनः आयात की समय-सीमा तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी गई है।

iv. भारत सरकार (जीओआई) ने 21 नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी है। इनमें से 12 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे अर्थात दुर्गापुर, शिरडी, कन्नूर, पाक्योंग, कलबुरगी, ओरवाकल (कुर्नूल), सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, ईटानगर, मोपा, शिवमोग्गा और हीरासर (राजकोट) कार्यशील हो चुके हैं।

v. केंद्र सरकार ने 25 अगस्त, 2021 को ड्रोन नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं जिनमें बाद में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं।

vi. देश में प्रशिक्षित पायलटों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने एक उदारीकृत उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) नीति प्रस्तुत की है, जिसके अंतर्गत हवाईअड्डा रॉयल्टी (एफटीओ द्वारा एएआई को राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान) की

अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है और भूमि किराये को काफी हद तक युक्तिसंगत बनाया गया है।

vii. गिफ्ट सिटी में भारत के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) के लिए बजट प्रोत्साहन के माध्यम से विमान लीजिंग और वित्तपोषण हेतु अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है।

******